हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सोलहवां सत्र

बुधवार, 23 अगस्त, 2017/1 भाद्रपद,1939 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्गार:**

श्री बलवन्त सिंह नेगी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार ।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूल्ज़, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-IV दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:यू0डी0ए0(3)-7/2011-लूज़ दिनांक 10.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2017 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:यू0डी0ए0(3)-7/2011-लूज़ दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.05.2017 को प्रकाशित ।

4. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह,सभापति,लोक लेखा समिति,(वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **183वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **184वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्रों) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **143वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 163वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18),**
समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),**
समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **75वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के ऑडिट पैरा संख्या:3.8 से 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **76वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:2.9 से 2.20 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है;और

(iii) समिति का **77वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(4) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का **37वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **35वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **36वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(6) श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

5. वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे:-

(i) सामान्य चर्चा ।

(ii) अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

6. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2010-2011 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत्त करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 7)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 9)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2010-2011 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत्त करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 7)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :

(1) **श्री कुलदीप कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बरसात, भू-स्खलन एवं बादल फटने से हुए जान-माल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(2) **डॉ0 राजीव बिन्दल**
श्री सुरेश भारद्वाज
श्री महेश्वर सिंह
श्री रणधीर शर्मा
श्री रविन्द्र सिंह प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 22 अगस्त, 2017 **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)